

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-306/11-2020-300(39)/2013 लखनऊ दिनांक 27.05.2020 द्वारा 100 वाहन दिनांक-31.03.2021 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने की प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में GEM पर तृतीय बार आमंत्रित बिड संख्या-GEM/2020/B/888727 में चयनित संस्था सर्वश्री आस्था टूर एण्ड ट्रवेल्स से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 100 वाहन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किराये पर लिये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-882 / 11-4-2020-300 (39) / 13 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 से प्राप्त अनुमति के क्रम में वाणिज्य कर क्षेत्रिय कार्यालयों को कुल 100 वाहन (SUV / PREMIUM SUV) उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वश्री श्री आस्था टूर एण्ड ट्रवेल्स, 31, सरस्वतीपुरम, अर्जुनगंज, लखनऊ को कार्यालय के पत्र संख्या 3777 दिनांक-07 जनवरी, 2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो रही है। अतः आउटसोर्सिंग से उपलब्ध कराये गये वाहनों का उपयोग दिनांक-31.03.2021 के पश्चात कदापि न किया जाय। यदि आउटसोर्सिंग के वाहनों उपयोग दिनांक-31.03.2021 के उपरान्त भी किया जाता है, तो आउटसोर्सिंग से उपलब्ध वाहन के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी एवं सेवा प्रदाता संस्था की होगी।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**गृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ज्वान्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. सर्वश्री आस्था टूर एण्ड ट्रवेल्स, 31, सरस्वतीपुरम, अर्जुनगंज लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वाणिज्य कर विभाग में आउटसोर्सिंग से उपलब्ध कराये गये सभी वाहन दिनांक 31.03.2021 के पश्चात हटा लें अन्यथा उनके भुगतान की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। वाणिज्य कर विभाग उनके भुगतान के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

31/03/2021

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।